प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2017 को सर्वेक्षण कार्यों की विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

बेगूसराय :–

1. IIC Tecnology के द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय में किये जा कार्यों की समीक्षा के दौरान, ज्ञात हुआ कि 9 राजस्व ग्रामों का सत्यापन किया गया है, लेकिन स्थल पर निर्धारित आकार में त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन प्रारंभ नहीं किया गया है, जो कि खेदजनक है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शीघ्र त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन (स्थल पर पिरामिड आकार का निर्माण) कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया साथ ही निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह 4 राजस्व ग्रामों का सीमा सत्यापन एवं त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन का कार्य किया जाए।

डाटा इंट्री एजेंसी

2. डाटा इंट्री एजेंसी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा बताया गया कि 77 राजस्व ग्रामों डाटा इंट्री हेतु नेटलिंक के पास लंबित है। साथ ही प्रपत्र–18, 19 तैयार नहीं किए जाने के कारण अंतिम प्रकाशन का कार्य बाधित है।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा डाटा इंट्री एजेंसी को निदेशित किया गया कि उनके पास डाटा इंट्री हेतु लंबित सभी राजस्व ग्रामों का डाटा इंट्री कर प्रपत्र–7 वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। प्रपत्र–18 एवं 19 के संबंध में डाटा इंट्री एजेंसी को निदेशित किया गया कि प्रपत्र–18 एवं 19 तैयार कराना प्रारंभ करें, साथ ही संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एकरारनामा से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

सर्वे / री–सर्वे

3. बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

बेगूसराय जिला में कुल 22 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 15 कानूनगो तथा 305 कार्यरत अमीन है। 11 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी शिविर के प्रभार में है। बेगूसराय जिला के कुल 1129 राजस्व ग्रामों में से 1134 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। खानापुरी कार्य संपन्न राजस्व ग्रामों की संख्या 495 है एवं प्रपत्र–12 प्रकाशित राजस्व ग्रामों की संख्या–182 है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय को निदेशित किया गया कि प्रपत्र–6, प्रपत्र–7 एवं प्रपत्र–12 हेतु लंबित राजस्व ग्रामों का प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 182 राजस्व ग्राम जिसका प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। इन ग्रामों के प्रकाशन के पश्चात् कुल प्राप्त दावों/आपत्तियों की संख्या एवं निष्पादित वादों की संख्या अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त राजस्व ग्रामों का शीघ्र अंतिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए। अंतिम प्रकाशन के पूर्व ग्रामों की सीमा, कुल रकवा चौहद्दी के साथ **Rent Roll** भी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन 9 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 20.10.2017 तक किया जाना है उक्त राजस्व ग्रामों के अधिकार–अभिलेख एवं अद्यतन मानचित्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 12.10.2017 को प्रातः 8 बजे मुंगेर में उपस्थापित करेंगे।

<u>खगड़िया :–</u>

5. बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

(i) खगड़िया जिला में कुल 10 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 11 कानूनगो तथा 68 कार्यरत अमीन है। खगड़िया जिला के कुल 306 राजस्व ग्रामों में से 299 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

खानापुरी पूर्ण राजस्व ग्राम 69 है। प्रारूप प्रकाशन पूर्ण राजस्व ग्राम (प्रपत्र–12) की संख्या–04 है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कार्य की प्रगति में तेजी लाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन ग्रामों का प्रपत्र–7 एवं प्रपत्र–12 का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। उक्त ग्रामों में प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावों/आपत्तियों की संख्या एवं सुनवाई की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। साथ ही उक्त राजस्व ग्रामों का शीघ्र अंतिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) हवाई फोटोग्राफी एजेंसी के कार्यों की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम–सीमा सत्यापन एवं त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

इस संबंध हवाई फोटोग्राफी एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि माह अक्टूबर, 2017 के अंत तक निश्चित रूप से त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन का कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) डाटा इंट्री एजेंसी की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 07 राजस्व ग्राम के डाटा इंट्री का कार्य उनके पास लंबित है।

लखीसराय :–

6. बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

लखीसराय जिला में कुल 13 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 05 कानूनगो तथा 18 कार्यरत अमीन है। लखीसराय जिला के कुल 493 राजस्व ग्रामों में से 475 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

खानापुरी पूर्ण राजस्व ग्राम 104 है। प्रारूप प्रकाशन पूर्ण राजस्व ग्राम (प्रपत्र–12) की संख्या–06 है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कार्य की प्रगति में तेजी लाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन ग्रामों का प्रपत्र–7 एवं प्रपत्र–12 का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। उक्त ग्रामों में प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावों/आपत्तियों की संख्या एवं सुनवाई की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त राजस्व ग्रामों का शीघ्र अंतिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

सुपौल :–

7. बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

सुपौल में 6 शिविर कैंप चल रहे है जिसमें 6 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं 3 कानूनगो कार्यरत है। जबकि पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या 09 है। इनमें शिविर प्रभारी श्री ललित कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के अधीन पिछले सप्ताह 840 खेसरों की खानापुरी संपन्न किया गया है, जो जिलों में सर्वाधिक है, जबकि श्री बैकुंठ सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की टीम द्वारा पिछले सप्ताह शून्य खेसरों का खानापुरी किया गया। कानूनगो में श्री विजय कुमार द्वारा सर्वाधिक खानापुरी का कार्य किया गया है, जबकि श्री परमेश्वर राम द्वारा 420 खेसरों का ही खानापुरी किया गया।

जिस अमीन द्वारा प्रतिवेदित सप्ताह एक भी खेसरा का खानापुरी नहीं किया गया है उनके नाम है :–(1) श्री कुँवर सिंह (2) श्री मिथिलेश शर्मा (3) श्री विजय चौधरी (4) श्री रामदयाल प्रसाद।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को सर्वेक्षण कार्य की गति को तीव्र करने निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नेटलिंक एजेंसी द्वारा डाटा इंट्री का कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। नेटलिंक एजेंसी के मात्र एक मौजा डाटा इंट्री की है, उसमें 4 महीने का वक्त लगाया है।

इस संबंध में डाटा इंट्री एजेंसी को निदेशित किया गया कि डाटा इंट्री हेतु लंबित राजस्व ग्रामों का शीघ्र कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

मधेपुरा :–

8. बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

मधेपुरा जिला में श्री अरूण कुमार सक्सेना, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा गत सप्ताह में सर्वाधिक 1035 खेसरों की खानापुरी कराया गया है। जबकि सबसे खराब कार्य श्री अभिमन्यु शर्मा का है, जिनके द्वारा मात्र 40 खेसरों का खानापुरी कराया गया है। इसी तरह श्री भवनाथ झा, कानूनगो द्वारा सर्वाधिक 860 खेसरों का खानापुरी कराया गया है, जबकि सबसे कम खेसरों की खानापुरी श्री विजय कुमार द्वारा मात्र 210 कराया गया है।

अमीन में गत् सप्ताह सबसे अधिक कार्य श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा 201 खेसरों, जबकि सबसे कम श्री वीरेन्द्र चौधरी द्वारा 131 खेसरों का खानापुरी किया गया है। समीक्षा के क्रम शिकायत की गयी की नेटलिंक एजेंसी का कार्य असंतोषजनक है। एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी की कार्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायत की गई।

इस संबंध में न्यूनतम कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपने कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी साथ ही डाटा इंट्री एजेंसी को निदेशित किया गया कि डाटा इंट्री हेतु प्राप्त राजस्व ग्रामों के अभिलेखों का शीघ्र डाटा इंट्री कर प्रपत्र–7 वितरित करना सुनिश्चित किया जाए।

सहरसा :–

9. बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

सहरसा जिला में 11 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 05 कानूनगो एवं 19 अमीन कार्यरत है। फिलहाल 10 शिविरों के जरिए सर्वे का कार्य पूरा किया जा रहा है। सभी शिविर सत्तर कटैया में चल रहे है। इसमें श्री सुनील कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा

984 खेसरों का खानापुरी किया गया है, जो जिलें में सर्वाधिक है। जबकि श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री संजय कुमार, श्री नारायण बैठा, श्री मिथिलेश कुमार एवं श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव एवं सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एक भी खेसरें का खानापुरी नहीं कराया गया है।

उसी तरह कानूनगो में श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा 934 खेसरों को खानापुरी का प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि 02 कानूनगो श्री सुरेश पासवान एवं श्री बद्री ठाकुर का प्रतिवेदन शून्य है।

अमीन संवर्ग में श्री मनोज यादव द्वारा सर्वाधिक 500 खेसरों का खानापुरी गत सप्ताह में किया गया है, जबकि 06 अमीन ऐसे है जिनका प्रतिवेदन शून्य है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 08 ग्राम का खानापुरी पूर्ण डाटा नेटलिंक एजेंसी को दे दिया गया, जिसमें से नेटलिंक एजेंसी द्वारा दो मौजा लौटाया गया है।

इस संबंध में न्यूनतम कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपने कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ससमय ऑनलाईन प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।

<u>नालंदा :–</u>

10. बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

(i) नालंदा जिला में कुल 07 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 01 कानूनगो तथा 21 कार्यरत अमीन है। नालंदा जिला में पूर्व के एजेंसी द्वारा 58 (कुल राजस्व ग्राम की संख्या–1084) ग्रामों की नक्शा उपलब्ध कराया गया था। वर्त्तमान में सभी 58 राजस्व ग्रामों के खानापुरी का कार्य समाप्त हो गया है। दिनांक 08.09.2016 को वर्त्तमान एजेंसी द्वारा 127 राजस्व ग्रामों का नक्शा उपलब्ध कराया गया है।

51 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–7 का वितरण एवं प्रपत्र–8 की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। खानापुरी के उपरांत एजेंसी द्वारा एक राजस्व ग्राम का रकवा नहीं भरा गया तथा 05 राजस्व ग्राम का एल0पी0एम0 मानचित्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। 45 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–12 का प्रकाशन हो चुका है।

05 राजस्व ग्राम के रकवा में भिन्नता होने के कारण प्रपत्र–12 का प्रकाशन नहीं किया जा सका है।

पृच्छा के क्रम में पाया बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा द्वारा बताया गया कि पूर्व के एजेंसी द्वारा 58 राजस्व ग्रामों के मानचित्र में रकवा अंकित नहीं था, जिसे स्थानीय अमीन के द्वारा भरा गया है, पुनः एजेंसी के द्वारा उक्त राजस्व ग्रामों का रकवा उपलब्ध कराया गया है। पूर्व

में अमीन द्वारा भरे गए उक्त ग्रामों के रकवा तथा वर्त्तमान में एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये रकवा में भिन्नता होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं की गयी है।

इस संबंध में मुख्यालय से मार्गदर्शन की मांग की गयी है। मुख्यालय द्वारा पत्रांक–677 दिनांक–17.05.2017 द्वारा इस संबंध में बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा को मार्गदर्शन भेज दी गयी है, फिर भी सर्वे कार्य में कोई प्रगति नहीं है।

इस संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्राम के प्रपत्र–12 का प्रकाशन किया जा चुका है। उक्त राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए। अंतिम प्रकाशन हेतु लंबित राजस्व ग्रामों के अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि व्याप्त है तो बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर अभिलेखों में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि शीघ्र संबंधित राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा सके।

(ii) श्री राजीव नयन पाण्डेय, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा श्री छोटे लाल पासवान, कानूनगो के द्वारा 01 माह से एक ही रिपोर्ट "नक्शा प्रिंट एवं रकवा विवरण हेतु संबंधित एजेंसी को भेजा गया है"। शेष किसी भी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है।

पृच्छा के क्रम में पाया गया कि वर्त्तमान में सिलाव अंचल के 05 राजस्व ग्रामों का सत्यापन का कार्य चल रहा है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हो चुका है। उक्त सभी राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए।

(ii) हवाई फोटोग्राफी एजेंसी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय नालन्दा में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि पूर्व में एजेंसी द्वारा 58 राजस्व ग्राम का मानचित्र उपलब्ध कराया गया था। वर्त्तमान में IL&FS द्वारा 127 राजस्व ग्राम का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त कार्यालय नालन्दा द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा है। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात अंतिम प्रकाशन हेतु लंबित राजस्व ग्रामों का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाय।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा हवाई फोटोग्राफी एजेंसी को निदेशित किया गया कि शीघ्र सभी राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया जाय। साथ ही त्रि–सीमाना के मोन्यूमेंटेशन एवं सीमा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ

किया जाय। अगले अक्टूबर, 2017 के अंत तक त्रि–सीमाना मोन्यूमेंटेशन सीमा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ नही होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शेखपुरा :–

11. बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

शेखपुरा जिला में कुल 03 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 01 कानूनगो तथा 13 कार्यरत अमीन है। शेखपुरा जिला के कुल 335 राजस्व ग्रामों में से 35 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है तथा 04 शिविर वर्ष, 2016 से चल रहा है। 27 ग्रामों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 22 ग्रामों का खानापुरी कार्य समाप्त हो चुका है तथा 09 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र–12) में किया जा चुका है। शिविर संख्या–01 के कानूनगो श्री अजय कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अखिलेश्वर कुमार, अमीन द्वारा प्रतिवेदित सप्ताह मात्र 95, श्री मनीष यादव द्वारा 85, मो0 आजाद द्वारा 75, श्री जितेन्द्र नाथ द्वारा 70, श्री राजदेव साह द्वारा 140 तथा श्री नंद किशोर मंडल द्वारा 150 खेसरों के खानापुरी का कार्य संपन्न किया गया है, जो बेहद असंतोषजनक है।

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी श्री निरंजन कुमार शिविर संख्या–02, श्री प्रमोद कुमार शिविर संख्या–03, श्री समीर कुमार, शिविर संख्या–01 द्वारा विगत 6 सप्ताह से एक ही रिपोर्ट कि वंशावली तैयार किया जा रहा है, आ रहा है। स्पष्ट होता है कि इन लोगों का कार्य बेहद असंतोषजनक है।

इस संबंध में न्यूनतम कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपने कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुंगेर :–

12. बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

मुंगेर जिला में कुल 06 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 00 कानूनगो तथा 03 कार्यरत अमीन है। मुंगेर जिला के कुल राजस्व ग्राम 862 में से 118 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है, समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर द्वारा बताया गया कि यहां कुल 06 कैंप (अंचल धरहरा में 04 तथा असरगंज 02) का आदेश जारी कर दिया गया है परंतु अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों का राजस्व मानचित्र प्राप्त हो चुका है। उक्त राजस्व ग्रामों का शीघ्र सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए।

अररिया :–

13. बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

अररिया जिला में कुल 03 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 00 कानूनगो तथा 03 कार्यरत अमीन है। अररिया जिला के कुल राजस्व ग्राम 751 में से 707 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शीघ्र सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया जाए। साथ ही डाटा इंट्री एजेंसी को भी निदेशित किया गया कि वे शीघ्र अपना कार्यालय, अररिया में अधिष्ठापित करे।

पूर्णियाँ :–

14. बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

(i) पूर्णियाँ जिला में कुल 02 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 02 कानूनगो तथा 56 कार्यरत अमीन है। पूर्णियाँ जिला के कुल राजस्व ग्राम 1291 में से 542 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

(ii) ग्राम–सीमा सत्यापन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

(iii) अपर समाहर्त्ता के अनुपस्थिति के संबंध में बताया गया कि वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना गए हुए हैं।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शीघ्र सर्वेक्षण कार्य हेतु उद्घोषणा का प्रकाशन कराया जाए। साथ ही हवाई फोटोग्राफी एजेंसी को निदेशित किया गया कि स्थल सत्यापन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

किशनगंज :–

15. बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

किशनगंज जिला में कुल 01 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 01 कानूनगो तथा 03 कार्यरत अमीन है। किशनगंज जिला के कुल राजस्व ग्राम 802 में से 783 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। ग्राम–सीमा सत्यापन पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या– 25 है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शीघ्र खानापुरी कार्य प्रारंभ किया जाए।

कटिहार :–

16. बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुए :–

(i) कटिहार जिला में कुल 02 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 02 कानूनगो तथा 40 कार्यरत अमीन है। मुंगेर जिला के कुल राजस्व ग्राम 1546 में से 1284 राजस्व ग्रामों का मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। 09 राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

(ii) प्रभारी पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के बारे में बताया गया कि वे विधि व्यवस्था की ड्युटी में है।

इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि शीघ्र सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए।

17. डाटा इंट्री एजेंसी नेटलिंक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय एवं लखीसराय द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करें।

18. बन्दोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

- ETS/DGPS ऑपरेटरो की संख्या
- शिविरवार कार्य प्रतिवेदन
- पूर्व मानचित्र (CS/RS) में रैयती खेसरों एवं सरकारी खेसरों की संख्या
- वर्त्तमान मानचित्र के अनुसार रैयती/सरकारी खेसरा की संख्या
- वर्त्तमान मानचित्र के क्षेत्रफल/पूर्व (CS/RS) मानचित्र के क्षेत्रफल मे भिन्नता की स्थिति।
- अमीनवार प्रतिवेदन के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले एवं खराब कार्य करने वाले को चिन्हित करना।
- बन्दोबस्त में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति
- हवाई फोटोग्राफी एजेंसी एवं डाटा इन्ट्री एजेंसी का ऑफिस खुला है अथवा नही ?
- एजेंसी कार्यालय के अवसंरचना की स्थिति
- एजेंसी के कार्यालय में मानव संसाधन की संवर्गवार अद्यतन स्थिति, हार्डवेयर इत्यादि।
- मानचित्र प्राप्त राजस्व ग्रामों की संख्या

- कार्य प्रारंभ राजस्व ग्रामों की संख्या
- संबंधित जिलों में शिविरों की संख्या
- उक्त शिविरों में हवाई फोटोग्राफी एजेंसी के मशीनों (ETS/DGPS) की संख्या
- प्रपत्र–8 एवं 13 में प्राप्त ग्रामवार आपत्तियों/दावों की कुल संख्या, अंतिम तिथि एवं उक्त वादों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति।

19. प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय, सहरसा, नालन्दा, शेखपुरा एवं अररिया से बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण पूछने एवं इसकी प्रति सामान्य प्रशासन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20. दिनांक 12.10.2017 को मुंगेर जिला मुख्यालय में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर के सर्वेक्षण से संबधित कार्य–योजना पर विचार किया जाएगा ताकि त्वरित कार्यान्वयन किया जा सकें।

उक्त यात्रा के दौरान दिनांक 11.10.2017 को बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय द्वारा अंतिम प्रकाशन हेतु तैयार 09 राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह सके जिससे न्यायिक समस्या उत्पन्न न हो।

साथ ही प्रपत्र–18,19 से संबधित एकरारनामा के तथ्यों से अवगत होगें।

21. अंतिम प्रकाशन के पूर्व संबंधित राजस्व ग्राम के रकवा का पूर्ण रुप से मिलान एवं जाँच कर लिया जाय ताकि अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि न रह सकें। रकवा में भिन्नता की स्थिति में बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर त्रुटि निराकरण ससमय किया जाय।

22. बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित प्रत्येक सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को तीन दिनों के अंदर सर्वेक्षण कार्य आवंटित किया जाए। अगर कोई भी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी बिना कार्य के पाए गए तो इसके लिए संबंधित प्रभारी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

23. सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), सहरसा को निदेशित किया गया कि ससमय ऑनलाईन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

24. <u>हवाई फोटोग्राफ एजेंसी को निम्नांकित निदेश दिया गयाः–</u>

- त्रि–सीमाना के मोन्यूमेंटेशन हेतु अक्टूबर, 2017 के अंत तक समय–सीमा निर्धारित किया गया है।
- IIC Tecnology द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्राईजंक्शन के डिजाइन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं सभी हवाई फोटोग्राफी एजेंसी को निदेश दिया गया कि उक्त डिजाइन में ही त्रि–सीमाना का मोन्यूमेंटेशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

- (iv) त्रि–सीमाना एवं A.C.P's की पूर्ण विवरणी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध Application Software (G.C.N Tracking form) के द्वारा अपलोड करने का निदेश दिया गया।
- जिन बन्दोबस्त कार्यालयों में अभी तक कानूनगो का पदस्थापन नहीं किया गया है, उक्त जिलों में शीघ्र कानूनगो का पदस्थापन करना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु विभाग के प्रशाखा–03 के प्रभारी पदाधिकारी प्रस्ताव उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– IL & FS, New Delhi/ Gis Consortium, New Delhi/IIC Technology, Hydrabad/Netlink Software, Bhopal/Urmila Infotech, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी / सभी स्थापना सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रशाखा पदाधिकारी–03, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :–17–विशेष सर्वेक्षण–साप्ताहिक समीक्षा–347 / 2017 1551 **पटना, दिनांक:–** 10/10/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक